

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2633]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 9, 2015/अग्रहायण 18, 1937

No. 2633]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 9, 2015/AGRAHAYANA 18, 1937

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2015

का. आ. 3319 (अ).—केंद्रीय सरकार ने होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की उप-धारा (1) के परंतुक और उप-धारा (2) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर संशोधित अपनी अधिसूचना संख्या का.आ. 482(अ), तारीख 06 अगस्त, 1974 के अंतर्गत केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् का गठन किया था;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 482(अ), तारीख 6 अगस्त, 1974 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की सारणी में, “धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित” शीर्षक के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य संबंधी क्रम संख्या 10 के लिए निम्नलिखित क्रम संख्याएं और तत्संबंधी प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)
“10. डॉ. आशुतोष भारद्वाज, 161/1, मैत्री छाया, निकट हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सुन्दर नगर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	24 अगस्त, 2015 से प्रवृत्त 23 अगस्त, 2020 तक”

[फा. सं. जेड.28016/3/2013-एचपीसी/सीसीएच निर्वाचन]

जितेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. संख्यांक 482(अ), तारीख 6 अगस्त, 1974 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन का.आ. संख्यांक 3153(अ) तारीख 23 नवम्बर, 2015 के द्वारा किया गया था।

**MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND
HOMOEOPATHY (AYUSH)**

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December, 2015

S.O. 3319(E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) and proviso to sub-section (2) of section 3 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), constituted the Central Council of Homoeopathy vide its notification number S.O. 482(E) dated the 6th August, 1974, which was amended from time to time.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 3 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Health and Family Planning (Department of Health) number S.O. 482 (E), dated the 6th August, 1974, namely:—

In the said notification, in the Table, under the heading “Elected under clause (a) of sub-section (1) of section 3 from the States/Union territories”, for serial number 10, relating to the State of Himachal Pradesh, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :

(1)	(2)	(3)
“10. Dr. Ashutosh Bhardwaj, 161/1, Matti Chhaya, Near Housing Board Colony, Sunder Nagar, District Mandi, Himachal Pradesh	Himachal Pradesh	With effect from the 24th August, 2015 to 23rd August, 2020.”

[F. No. Z. 28016/3/2013-HPC/CCH-Election]

JITENDRA SHARMA, Jt. Secy.

Note: The principal notification were published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O 482(E), dated the 6th August, 1974 and last amended vide notification number S.O. 3153(E), dated the 23rd November, 2015.